

राजस्थान सरकार

निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर-26, एन.आर.आई. सर्किल, पानी की टंकी के पास, प्रतापनगर जयपुर-302033

क्रमांक:- सामा./विविध/पत्रा.89/पार्ट-3/2019/

दिनांक :-

आदेश

कार्मिक(क-2) विभाग, राज. सरकार के पत्र क्रमांक आशा0टीप.स0प0प.7(1)कार्मिक/क-2/19 जयपुर दि. 22.02.2019 एवं आशा0टीप.स0प0प.7(1)कार्मिक/क-2/19 जयपुर दि. 29.03.2019 में उल्लेखित अधिसूचना दि.19.02.2019 के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सभी सेवा नियमों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में भी 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है।

अतः होम्योपैथिक से संबंधित सभी राजकीय महाविद्यालयों (भविष्य में संचालित होने वाले) एवं होम्योपैथिक के निजी क्षेत्र में संचालित महाविद्यालयों के लिए भी आर्थिक कमजोर वर्ग को नियमानुसार कार्मिक विभाग के इस बाबत जारी निर्देशों की पालना किये जाने हेतु निर्देश जारी किये जाते हैं।


(डॉ रामप्रकाश शर्मा)
सहायक निदेशक

क्रमांक:- सामा./विविध/पत्रा.89/पार्ट-3/2019/2112-115

दिनांक :- 15/4/19

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. उपशासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राज. सरकार।
2. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सभी राजकीय एवं निजी होम्योपैथिक महाविद्यालयों को पालनार्थ।
4. नोडल अधिकारी, वेबसाइट का देकर लेख है कि उपरोक्त आदेश की पालना के क्रम में सभी राजकीय एवं निजी होम्योपैथिक महाविद्यालयों को निर्देशित किये जाने हेतु आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।


सहायक निदेशक